न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 292/2025 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
उगम पत्नी मोडाराम जाति गवारिया, निवासी रेडाणा तहसील गडरारोड, जिला बाड़मेर		1. जगदीशप्रसाद पुत्र बलुराम 2. आम्बाराम पुत्र पालाराम 3. देवीलाल पुत्र शंकरलाल 4. धाई पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल, निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादीनी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 01.05.2026

वादीनी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीनी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादीनी अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल कोटड़ा के ग्राम तालों का पार के खेत खसरा नम्बर 1023, 1259/1023 रकबा क्रमशः 3.4236, 0.6475 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	उगम पत्नी मोडाराम जाति गवारिया सा. रेडाणा तह. गडरारोड़ खातेदार	तालों का पार	1023 1259/1023	1.1412 0.2158	बा.दो. बा.दो.	–	हरा
			02	1.3570			
2	जगदीशप्रसाद पुत्र बलुराम 1/2, आम्बाराम पुत्र पालाराम 1/4, देवीलाल पुत्र शंकरलाल 1/8, धाई पत्नी शंकरलाल 1/8 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	तालों का पार	1023 1259/1023	2.2824 0.4317	बा.दो. बा.दो.	–	गुलाबी
			02	2.7141			

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त [illegible] विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:59:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)